



63

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

निग 2233- II 16

श्री. का. र. स. मंडल
द्वारा आज दि. 5-7-16 को
प्रस्तुत

रामप्रसाद पुत्र स्व. श्री रामप्यारे नाई
निवासी ग्राम बसौडा तहसील माडा
जिला सिंगरौली म.प्र.

5 ऑफ फोटो
म.प्र. ग्वालियर

.....आवेदक

बनाम

1. रामकरन पुत्र मायाराम वैश्य निवासी
ग्राम बडगड तहसील माडा जिला
सिंगरौली म.प्र.
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता
राजस्व निरीक्षक ~~स~~ मण्डल माडा तहसील माडा
जिलासिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/ अ- 12/
14-15 /रामकरन वि. म.प्र. शासन में पारित आदेश
दिनांक 25.7.2015 से परिवेदित होकर आदेश की
जानकारी दिनांक 18.6.2016 से समयावधि में प्रस्तुत ।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत
है :-

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम बसौडा स्थित भूमि सर्वे
क्रमांक 597/ 2 रकवा 0.50 हेक्टर का सीमाकन कराने हेतु
आवेदन प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.06.2015
को सीमाकन किए जाने हेतु सूचना दी गई। सूचना परजारी
दिनांक नही डाला गया। दिनांक 19.06.2015 को आवेदक द्वारा
सीमाकन न किए जाने बात लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की तथा
सीमाकन न किए जाने का निवेदन किया बताया गया कि अनावेदक

R. S. Sanyal
आ. प्र. स. मंडल
दिनांक 5-7-16

[Handwritten signature]

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2233-दे/16

जिला - सिंगरिनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...राजस्व निरीक्षक... ...मंज...के प्रकरण क्रमांक ...9/अ.12/14.15... में पारित आदेश दिनांक ...5.7.15... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु ...कुलकर्णी सिंगरिनी... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19...को ...कुलकर्णी सिंगरिनी... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	